POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.01.2026

1. थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, स्नैच किये हुए फोन को बेचकर प्राप्त 1600 रुपए नगद व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.01.2026** को **थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से दो पहिया वाहन चोरी करने वाला एक अभियुक्त मनीष चोपडा पुत्र संजय चोपडा को शिप्रा कट सेक्टर-62, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल अपाचे, स्नैच किये हुए फोन को बेचकर प्राप्त 1600 रुपए नगद व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 10.01.2026 को सेक्टर-62 नोएडा गोलचक्कर पर खडे एक व्यक्ति से मोबाइल फोन स्नैच किया गया था, जिसको बेचकर प्राप्त रुपयो में से 1600/- रूपये शेष बचे है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-14/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल को अभियुक्त द्वारा दिल्ली से पिछले वर्ष चोरी किया गया था जिसके संबन्ध में थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली में एफआईआर नंबर 018770/2025 दिनांक 08.07.2025 को पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा की गयी अन्य आपराधिक घटनाओं व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-- मनीष चोपडा पुत्र संजय चोपडा निवासी शाहदरा, थाना शाहदरा, दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट (सम्बन्धित एफआईआर नंबर 018770/2025 थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली)
2. नगद 1600/- रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0-14/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा)
3. एक अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. एफआईआर नंबर 018770/2025 थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली ।
2. मु0अ0सं0-14/2026 धारा 304(2)बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-19/2026 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2. थाना नॉलेज पार्क क्षेत्रांतर्गत हुयी घटना के संबंध में प्रमुख 02 आरोपी और गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.01.2026** को **थाना नॉलेज पार्क पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मु0अ0सं0 20/2026 धारा 105, 125, 61(2) बीएनएस में 02 अभियुक्त 1-रवि बंसल पुत्र प्रकाश चंद 2-सचिन करनवाल पुत्र गोपाल करनवाल को **गिरफ्तार** किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16/17.01.2026 की रात्रि को कार चालक युवराज पुत्र राजकुमार उम्र करीब 27 वर्ष की लोटस ग्रीन कंपनी के बिल्डर व सहयोगीयों द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग में बरती गयी लापरवाही के चलते उसके प्लाट में भरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी, जिसके विरूद्ध थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 105, 125/61(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. रवि बंसल पुत्र प्रकाश चंद निवासी मंगलम रेजिडेंसी अपार्टमेंट, थाना सेक्टर-21(D), फरीदाबाद, हरियाणा।
2. सचिन करनवाल पुत्र गोपाल करनवाल निवासी बिल्डिंग नंबर A-11, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, थाना शालीमार गार्डन, जिला गाज़ियाबाद।

अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 20/2026 धारा 105, 125, 61(2) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क, कमि0-गौतमबुद्धनगर।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस घटना से संबंधित बेस्टटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर- अभियुक्त अभय कुमार पुत्र विक्रमलाल को दिनांक 20-01-2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

3. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.01.2026** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 02 अभियुक्त 1. अनुज उर्फ पैक बलिये पुत्र राजू 2. करन सिंह उर्फ लाली पुत्र श्यामपाल सिंह को सेक्टर-90 की ओर जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए हुए 01 आरओ सिस्टम, 01 गैस गीजर, 02 कंबल, 5500/- रुपये नकद व अभियुक्त अनुज के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ का विवरण--

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.01.2026 को उन्होंने सरस्वती एन्क्लेव स्थित एक नवनिर्मित मकान में चोरी की थी। उक्त मकान से अभियुक्तों द्वारा 01 आरओ, 01 गैस गीजर तथा मकान में लगी टोटियाँ चोरी की गई थीं। चोरी की गई टोटियों को अभियुक्तों द्वारा एक फेरी वाले को बेच दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 31.12.2025 को उन्होंने सरस्वती एन्क्लेव स्थित एक बंद पड़े मकान से 01 एलईडी टीवी तथा काली मोतियों की एक माला, जिसमें सोने का बिल्ला लगा हुआ था, चोरी की थी। चोरी के पश्चात मोतियों की माला को वहीं फेंक दिया गया तथा ठंड के कारण मकान में पड़े कंबल भी अभियुक्त अपने साथ ले गए थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सोने के बिल्ले को उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को ₹20,000/- में बेच दिया था, जिसकी राशि आपस में बांट ली गई थी। उक्त राशि में से ₹5,500/- शेष बचे थे, जिन्हें अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अनुज उर्फ पैक बलिये पुत्र राजू निवासी ग्राम मूढा थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर, वर्तमान पता इलाहबास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष।
2- करन सिंह उर्फ लाली पुत्र श्यामपाल सिंह निवासी ग्राम साहेपुर, थाना लुनार, हरदोई, वर्तमान पता ग्राम शाहदरा, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ **अभियुक्त अनुज उर्फ पैक बलिये--**

1. मु0अ0सं0 009/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 039/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 043/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्त करन--**

1. मु0अ0सं0 009/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 039/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी किए हुए 01 आरओ सिस्टम
2. 01 गैस गीजर
3. 02 कंबल,
4. 5500/- रुपये नकद
5. 01 अवैध चाकू

4. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 20,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण/ घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **22.01.2026** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 20,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त आकाश पुत्र संजय को ग्राम खेड़ी को जाने वाले रास्ते के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है जिसमें अभियुक्त वाँछित चल रहा था। अभियुक्त आकाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर वाहन चोरी कर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। अभियुक्त के अन्य साथियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- आकाश पुत्र संजय निवासी ग्राम भीम गढी, थाना हलदुआ गंज, अलीगढ़ वर्तमान पता बरौला, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 743/2024 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 755/2024 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 791/2024 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 022/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 040/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0- 044/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 051/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0- 071/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0- 110/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0- 162/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 528/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0- 046/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-- 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर